भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5040

जिसका उत्तर शुक्रवार, 01 अप्रैल, 2022 को दिया जाना है

**पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत वित्तपोषण**

**5040. श्री बी. एन. बचेगौडा :**

**श्री प्रताप सिम्हा :**

**डॉ. उमेश जी. जाधव :**

**श्री तेजस्वी सूर्याः**

**श्री बी.वाई. राघवेन्द्र :**

**श्री कराडी सनगन्ना अमरप्पा :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की सुनवाई/निर्णय हेतु प्रत्येक न्यायिक जिले में विशेष अदालतें स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों को निधियां जारी की हैं ;

(ख) यदि हां, तो पॉक्सो अधिनियम के लागू होने के बाद से अब तक जारी और उपयोग की गई निधियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय मंत्री**
**( श्री किरेन रीजीजू )**

**(क) से (ग) :** न्याय विभाग ने आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम 2018 के अनुसरण में बलात्संग और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पाक्सो) अधिनियम से संबंधित मामलों के त्वरित परीक्षण और निपटान के लिए 1023 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) की स्थापना के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजना को आरंभ किया

है। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के तारीख 25.7.2019 में स्व:मेव 1/2019 के निदेश के अनुसार, 1023 एफटीएससी में से, देश भर के 389 न्यायिक जिलों में389 अनन्य पॉक्सो (ई-पॉक्सो) न्यायालयों की स्थापना की आवश्यकता है जहाँ 100 से अधिक पॉक्सो अधिनियम के मामले (30.06.2019 तक) लंबित थे । प्रारंभ में, यह स्कीम 1 वर्ष के लिए थी जिसे अब 1572.86 करोड़ रुपए के केंद्रीय हिस्से के साथ 971.70 करोड़ रुपएकी लागत पर 31.03.2023 तक जारी रखा गया है। केंद्रीय हिस्सा निर्भया निधि से मिलना है। फरवरी, 2022 मास के लिए उच्च न्यायालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 399 विशिष्ट पॉक्सो न्यायालयों सहित कुल 712 एफटीएससी का प्रचालन किया गया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को जारी की गई निधियों की स्थिति और ई-पॉक्सो न्यायालयों सहित एफटीएससी के लिए इसके उपयोग की स्थिति **उपाबंध** में दी गई है।

**********

**उपाबंध**

**लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5040, जिसका उत्तर 11.02.2022 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट उपाबंध**

जारी की गई निधियों के केंद्रीय हिस्से और प्राप्त उपयोगिता प्रमाणपत्र की प्रास्थिति **(29.03.2022**के अनुसार**)**

**(**रुपए करोड़ में**)**

| **क्र.सं.** | **राज्य और संघ राज्य क्षेत्र** | 2019-20 में जारी की गई रकम | **2019-20** में प्राप्त उप.प्रमा. | **2020-21** में जारी की गई रकम | **2020-21** में प्राप्त उप.प्रमा. | **2021-22** में जारी की गई रकम | **2021-22** में प्राप्त उप.प्रमा. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | अंदमान और निकोबार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | आंध्र प्रदेश | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | अरुणाचल प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | असम | 2.85625 | 2.8562 | 1.86875 | 0.3024 | 3.375 | 0 |
| **5** | बिहार | 2.025 | 2.025 | 15.26255 | 15.26255 | 20.25 | 0 |
| **6** | चंडीगढ़ | 0.1875 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| **7** | छत्तीसगढ | 3.375 | 0.744 | 3.375 | 3.375 | 4.259 | 0 |
| **8** | दिल्ली | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | गोवा | 0.225 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | गुजरात | 7.875 | 1.166 | 7.875 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | हरियाणा | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 1.8 | 3.6 | 0 |
| **12** | हिमाचल प्रदेश | 1.0125 | 0.644 | 1.51875 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | जम्मू -कश्मीर | 0.5625 | 0.56 | 0 | 0 | 2.635 | 0 |
| **14** | झारखंड | 4.95 | 0 | 4.95 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | कर्नाटक | 6.975 | 2.888 | 0 | 0 | 6.635 | 5.47 |
| **16** | केरल | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | मध्य प्रदेश | 15.075 | 15.075 | 15.0750 | 15.075 | 26.175 | 15.075 |
| **18** | महाराष्ट्र | 31.05 | 2.044 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | मणिपुर | 0.675 | 0.665 | 0.675 | 0.011 | 0.3375 | 0 |
| **20** | मेघालय | 1.6875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | मिजोरम | 1.0125 | 1.0125 | 1.0125 | 1.0125 | 2.02625 | 0.50625 |
| **22** | नागालैंड | 0.3375 | 0.3375 | 0.3375 | 0.2205 | 0 | 0 |
| **23** | ओडिशा | 5.4 | 0 | 1.3 | 4.23 | 16.2 | 7.64 |
| **24** | पुदुचेरी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1125 | 0 |
| **25** | पंजाब | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | राजस्थान | 5.85 | 5.85 | 14.4 | 14.4 | 19.745 | 10.125 |
| **27** | तमिलनाडु | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 2.59 | 2.59 |
| **28** | तेलंगाना | 8.1 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | त्रिपुरा | 1.0125 | 0.91325 | 1.0125 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | उत्तर प्रदेश | 13.80625 | 13.8062 | 84.29375 | 35.2695 | 24.525 | 16.23 |
| **31** | उत्तराखंड | 2.7 | 2.2468 | 0 | 0 | 2.092 | 0 |
| **32** | पश्चिमी बंगाल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **कुल** |  | **140** | **60.42845** | **159.7063** | **94.10845** | **134.5573** | **57.6363** |